जी. सी. मित्तल, न्यायाधीश के समक्ष

मोहन लाल,—अपीलकर्ता

बनाम

रामेश्वर दास एवं अन्य,—प्रतिवादी।

नियमित द्वितीय अपील संख्या 1417/1981 I

10 अगस्त, 1982 I

सिविल प्रक्रिया संहिता (V का 1908)—धारा 141 और 153 - आदेश 1 नियम 10 और आदेश 41 नियम 20(2)—दो प्रतिवादियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर की गई अपील–निचले न्यायालय के निर्णय के बाद परंतु अपील दायर करने से पहले एक प्रतिवादी की मृत्यु–ऐसी अपील–क्या इसे शून्य कहा जा सकता है–ऐसे मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों–क्या उन्हें रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।

अभिनिर्धारित किया है कि निचली अदालत के निर्णय के बाद और अपील दायर करने से पहले प्रतिवादी में से एक की मृत्यु अपील को शून्य नहीं बनाती है और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 153 के तहत रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है। धारा 153, संहिता की धारा 141 के साथ पढ़ी गई आदेश 1 नियम 10 और आदेश 41 नियम 20(2) के संदर्भ में अपीलों पर भी लागू होगी।

(पैरा 2)

नियमित द्वितीय अपील श्री आर. डी. आनेजा, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अम्बाला के न्यायालय के आदेश से, दिनांक 16 मई, 1981 को, जिसने श्री एल. एन. मित्तल, एचसीएस, सब-जज प्रथम श्रेणी, जगाधरी के न्यायालय के दिनांक 21 मार्च, 1980 के आदेश की पुष्टि की थी, जिसमें वादियों के मुकदमा भूमि के सूट को निर्णायक रूप से स्वीकार किया गया था और पक्षों को अपने-अपने खर्चे वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

एम. एस. जैन, अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से।

जे. के. शर्मा, अधिवक्ता, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

गोकल चंद मित्तल, न्यायाधीश।

1. गोपी राम और रामेश्वर दास ने 9 कनाल 8 मरला जमीन के कब्जे के लिए एक मुकदमा दायर किया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने 21 मार्च, 1980 को स्वीकार कर लिया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय और डिक्री की प्रतियां प्राप्त करने के बाद, एकमात्र प्रतिवादी ने 22 अप्रैल, 1980 को अम्बाला के जिला न्यायाधीश के समक्ष पहली अपील दायर की। प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को छोड़कर, अपील दायर करने की अंतिम तिथि 5 मई, 1980 थी। इसलिए अपील समय पर दायर की गई थी। वादी-प्रतिवादियों के लिए 25 मई, 1980 को अपील का नोटिस जारी किया गया था। 25 मई, 1980 को, यह बताया गया कि गोपी राम वादी-प्रतिवादी की मृत्यु हो चुकी थी।गोपी राम की मृत्यु के बारे में पूछताछ करने के बाद, 12 जून, 1980 को उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया। गोपी राम की मृत्यु 4 अप्रैल, 1980 को हुई थी, यानी अपील दायर करने से पहले और ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद। बाद में देरी की माफी के लिए भी एक आवेदन दायर किया गया था। जिस अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सामने अपील और आवेदन आए, उन्होंने 16 मई, 1981 को दिए गए निर्णय और डिक्री में यह माना कि मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील एक शून्यता थी और यह भी देखा गया कि अपीलकर्ता ने पूर्ण और सत्य तथ्यों का खुलासा नहीं किया था, क्योंकि उसने गोपी राम की मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं किया था और, इसलिए, उसे किसी भी राहत के हकदार नहीं माना जा सकता था। नतीजतन अपील खारिज कर दी गई। यह प्रतिवादी द्वारा द्वितीय अपील है।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, मेरी राय है कि यह अपील सफल होनी चाहिए। निचले अपीलीय अदालत ने **बाई पंत वरीकर बनाम मधभाई गलाभाई पटेल,**[1] के निर्णय का सहारा लेते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि मृत व्यक्ति के खिलाफ अपील एक शून्यता है और मृतक के कानूनी प्रतिनिधि को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सबसे पहले, वह मामला तथ्यों पर स्पष्ट रूप से भिन्न है। वहां, अपील दायर करने के समय एकमात्र अपीलकर्ता मृत था, और इसलिए, अपील दायर करने वाले वकील को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं माना जा सकता था, क्योंकि अपीलकर्ता की मृत्यु के साथ ही उनके पक्ष में दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी समाप्त हो गई थी। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता जीवित था और दो प्रतिवादियों में से केवल एक की मृत्यु हुई थी। इस संबंध में **मेहर सिंह बनाम लाभ सिंह ,**[2]**जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम कृष्ण लाल**

[1] A.I.R. 1953 Bombay 356
[2] A.I.R. 1932 Lahore 305.

और अन्य, [3] **चतुर प्रसाद-बारा बच्चा और अन्य बनाम बैजनाथ प्रसाद और अन्य,**[4] **दोड्डमल्लप्पा चन्नाबसप्पा करी बनाम गंगप्पा शिद्दप्पा गुलगंजी,**[5] **रामजीवन बनाम चांद मोहम्मद ,**[6] और **हिमाचल प्रदेश राज्य, आदि बनाम धुरु राम,**[7] आदि में यह नियम बताया गया है कि निचली अदालत के निर्णय के बाद और अपील दायर करने से पहले प्रतिवादी में से एक की मृत्यु होने से अपील शून्य नहीं हो जाती है और मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के तहत रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है।सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 153, धारा 141 के संदर्भ में पढ़ी गई आदेश 1 नियम 10 और आदेश 41, नियम 20(2) के मद्देनजर, अपीलों पर भी लागू होगी। इसलिए, मेरा मत है कि दायर की गई अपील शून्य नहीं थी और निचले अपीलीय अदालत को उन कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का अधिकार था, जो प्रतिवादी की मृत्यु के बाद और निचली अदालत के निर्णय से पहले दायर की गई थी।

3. इससे मुझे इस बिंदु पर विचार करने का अवसर मिलता है कि क्या गोपी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने और देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण बनाए गए हैं। यदि गोपी राम की मृत्यु अपील दायर करने के बाद हुई होती, तो अपीलकर्ता के पास उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए 90 दिनों की सीमा होती और निरस्तीकरण को दूर करने के लिए अतिरिक्त 60 दिनों की अवधि होती। इस अदालत के नियमों और आदेशों में एक नियम बनाया गया है कि अब अपीलकर्ता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाए। इस दायित्व को कानूनी प्रतिनिधियों पर डाला गया है कि वे खुद को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन करें।इसलिए, पंजाब और हरियाणा में, चंडीगढ़ के संघ शासित प्रदेश सहित, यदि मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को अपीलकर्ता की ओर से मृत्यु की तारीख से 150 दिनों के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है, तो अपील निरस्त नहीं होती है और उसे कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में सुना जा सकता है। अतः यदि मृत्यु अपील दायर करने के बाद हुई होती, तो निरस्तीकरण का प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि गोपी राम प्रतिवादी की मृत्यु के दो महीने और 8 दिन बाद कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आवेदन दायर किया गया था, जो समय पर होता अगर मृत्यु अपील दायर करने के बाद हुई होती और यदि उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों ने अपीलकर्ता को ऐसा आवेदन दायर करने से

[3] A.I.R 1977 Punjab and Haryana 180.
[4] A.I.R. 1930 Allahabad 131
[5] A.I.R. 1962 Mysore 44
[6] A.I.R. 1976 Rajasthan 65
[7] A.I.R. 1981 Himachal Pradesh 34.

मुक्त नहीं किया होता। इसलिए, इन विशिष्ट तथ्यों पर एक उदार दृष्टिकोण लेना होगा, बजाय तकनीकी आधार पर अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराने के। तदनुसार, मैं पाता हूँ कि यह मृत प्रतिवादी गोपी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने में देरी को माफ करने का उपयुक्त मामला है।

4. सच तो यह है कि गोपी राम के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए दायर किए गए आवेदन में अपीलकर्ता ने मृत्यु की तारीख का उल्लेख नहीं किया था, लेकिन उस चूक का मतलब देरी के निवारण के आवेदन को सीधे खारिज करना उचित नहीं था। निचली अदालत ने रिट अधिकार क्षेत्र में निर्णयों पर भरोसा किया, जो एक असाधारण अधिकार क्षेत्र है और जहां यह उम्मीद की जाती है कि हर मुकदमेबाज अदालत के सामने सभी तथ्यों को रखे और वहां भी यदि महत्वपूर्ण तथ्य छिपाए जाते हैं, जिन्हें यदि बताया गया होता, तो या तो नियम निषेध जारी नहीं किया गया होता या एकतरफा स्थगन आदेश नहीं दिया गया होता। केवल उन मामलों में अदालत रिट अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से इनकार करती है। मृत्यु की तारीख का उल्लेख न करके, अपीलकर्ता ने नियम निषेध जारी करने या अंतरिम आदेश प्राप्त करने में कोई लाभ नहीं प्राप्त किया, इसलिए यह बिंदु अपीलकर्ता के रास्ते में नहीं खड़ा हो सकता।

5. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, यह अपील स्वीकार की जाती है, निचली अपीलीय अदालत का निर्णय और डिक्री, दिनांक 5 मई, 1981 को यहाँ पर निरस्त किया जाता है और मामले को उस अदालत को वापस भेजा जाता है ताकि अपील को उसके मूल नंबर पर पुनःस्थापित किया जा सके और उसे कानून के अनुसार योग्यता पर निर्णय किया जा सके। पक्षों को उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से 14 सितंबर, 1982 को अम्बाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा